

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म०प्र० राजस्वमण्डल सर्किट कार्ट रीवा,

जिला रीवाम०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक

1/2012

R. 2588-I/II


क्रमांक 9096

सोसाइटी डेस्ट्री आज
26.7.12 को प्राप्त

संस्था कार्ट

तहसील देवसर जिला सिंराली

पांच नौ टिकट
उपनिषद नदी
भूते पट्ट चक्षु
नी जाएगा



- 1- श्रीमती शिवकुमारी विवा पत्नीजनक्षारी
- 2- राज कुमार तनय जनक्षारी महापात्र दौनो निवासी ग्राम ढा
तहसील देवसर जिला सिंराली म०प्र०-----निगराकार/आवेक

नाम

1- जगजीवनलाल

2- जियालाल

3- हीरालाल

4- इयालाल

अधिकारी श्री स्वतंत्र
हस्ताक्षर "ठारा अप्टुना"
रीवा, मि० 18.7.2012

197.12

तनय रामदुलारे नामदेव सा०डा तहसील देवसर
जिला सिंराली म०प्र०----- गैरनिगराकारण

अनावेदकाणा

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर क्ल०

महोदय सिंराली दिनांक 28-6-12 बाबत

प्रकरणक्र०371/निगरानी/ 2010-11

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मूराजस्व संहिता

सन 1959ई०

संदीप मे तथ्य

ग्राम कर्ह तह० देवसर जिला सिंराली की
मुमिन०1205/4/0-809ई० के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्यधारी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.2588-टो.112 जिला-ग्वालियर

श्रीमती शिवकुमारी व अब्द विरुद्ध जगजीवन लाल वडो

(1)	(2)	(3)
१७-१२-१८	<p>1. आवेदक की ओर से श्री स्वेतोष मिशन रत्नमाला अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी क्लिक्टर/ अपर क्लिक्टर, जिला ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक ३७।/ग्वालि।२०।५०।। में पारित आदेश दिनांक २४-६-१२ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.3.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> <p style="text-align: left;">(W)</p>	